प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 421/2022 दिनांक – 21/10/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), धाराये – 7, 7 A
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (द) अन्य अधिनियम – भा.द.स. धाराये – ....120 बी....................
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 329 समय – 4:00 P.M.
   ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 13.06.2022 समय – ....
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.06.2022 समय –03.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर पश्चिम 24 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– श्री महेन्द्र की कपडे की दुकान, मण्डलनाथ चौराहा, जोधपुर
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – श्री विजय सिंह (ब) पिता/पति का नाम – श्री भंवरसिंह
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 34 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय – प्राईवेट व्यवसाय (र) पता – नारवा खुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री अश्विनी कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री महेश कुमार गुप्ता जाति गुप्ता उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नम्बर 38, ठाकुर वीरेन्द्र नगर मैन रोड मण्डोर जोधपुर हाल कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर।
   2. श्री महेन्द्र पुत्र श्री भोमाराम जाति माली उम्र 35 वर्ष निवासी बिजलीघर के पीछे, मण्डलनाथ, पुलिस थाना करवड पुलिस कमिशनरेट जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति)

8- परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शून्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– ....
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............ कोई नहीं..........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
स्पेशल यूनिट जोधपुर

विषयः— रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं विजयसिह पुत्र श्री भंवरसिह निवासी नारवा खुर्द तहसील खीवसर जिला नागौर का रहनें वाला हूं। मेरी बहन के नाम गुरूदेव मसाला उधोग मण्डलनाथ जोधपुर में फर्म है। जिसकी देखरेख मैं करता हूं। इस फर्म को शुरू करने के लिए जिला लघु उधोग केन्द्र जोधपुर से एमएसएमई के लिए 25 लाख रूपये का लोन लेन हेतु आवेदन किया था जिसमें 1,548,200 रूपये रोकड़ खातें में व 8,75,000/—रूपये की सी.सी. लिमिट मिली थी। इस में राज्य सरकार द्वारा लघु उधोग हेतु प्रोत्साहन राशि महिला के लिए 35 प्रतिशत के हिसाब से 8,75,000/—रूपये की सब्सिडी मिलनी है। इसके एवज में डीआईसी के श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक, जिला उधोग केन्द्र जोधपुर द्वारा महेन्द्रसिह दलाल प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत कमीशन के रूप में कुल राशि 2 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी जिस पर डरा धमका कर 1,50,000/—रूपये पहले ले चुका है। अब 50,000/—रूपये की रिश्वत राशि और लेना चाहता है। मैं इन दोनो को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। बल्कि रिश्वत देतें हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री अश्विनीसिह व महेन्द्रसिह सें कोई व्यक्तिगत दुंश्मनी या कोई लेन देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें मेरे प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है।

दिनांकः— 13.06.2022

प्रार्थी
एस.डी.
(विजयसिह)
पुत्र श्री भंवरसिह निवासी नारवा खुर्द
तहसील खीवसर जिला नागौर
मोबाईल नम्बर 9782530004

सही/— श्री जितेन्द्र रामावत स्वतन्त्र गवाह	सही/— श्री सुरेन्द्र सिंह स्वतन्त्र गवाह	सही/— डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर	सही/— श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण	सही/— श्री विजयसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुरोहित उम्रं 34 साल निवासी ग्राम नारवा कल्ला तहसील ,खींवसर जिला नागौर मोबईल नम्बर 9782530004

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 13.06.2022 समय 03.00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री विजयसिह पुत्र श्री भंवरसिह उम्र 34 वर्ष निवासी नारवा खुर्द तहसील खीवसर जिला नागौर ने कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो–एसयू, जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय कि पेश की कि " मैं विजयसिह पुत्र श्री भंवरसिह निवासी नारवा खुर्द तहसील खीवसर जिला नागौर का रहनें वाला हूं। मेरी बहन के नाम गुरूदेव मसाला उधोग मण्डलनाथ जोधपुर में फर्म है। जिसकी देखरेख मैं करता हूं। इस फर्म को शुरू करने के लिए जिला लघु उधोग केन्द्र जोधपुर से एमएसएमई के लिए 25 लाख रूपये का लोन लेन हेतु आवेदन किया था जिसमें 1,548,200 रूपये रोकड़ खातें में व 8,75,000/–रूपये की सी.सी. लिमिट मिली थी। इस में राज्य सरकार द्वारा लघु उधोग हेतु प्रोत्साहन राशि महिला के लिए 35 प्रतिशत के हिसाब से 8,75,000/–रूपये की सब्सिडी मिलनी है। इसके एवज में डीआईसी के श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक, जिला उधोग केन्द्र जोधपुर द्वारा महेन्द्रसिह दलाल प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत कमीशन के रूप में कुल राशि 2 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी जिस पर डरा धमका कर 1,50,000/–रूपये पहले ले चुका है। अब 50,000/–रूपये की रिश्वत राशि और लेना चाहता है। मेरी श्री अश्विनीसिह व महेन्द्रसिह सें कोई व्यक्तिगत दुंश्मनी या कोई लेन देन बकाया नही है। मैं श्री अश्विनी कुमार वरिष्ठ लिपिक व श्री महेन्द्रसिह दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा अवैध तरीके से मांगी जा रही रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री अश्विनी कुमार वरिष्ठ लिपिक व श्री महेन्द्रसिह दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से कोई व्यक्तिगत दूश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरे परिचय पत्र की फोटोप्रति पेश कर रहा हूं।" परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री विजयसिह को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व परिवादी श्री विजयसिह का आपसी परिचय करवाया गया।

वक्त 03.20 पी.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को सुपर्द कर परिवादी श्री विजयसिह एवं आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक, जिला उधोग केन्द्र जोधपुर व श्री महेन्द्रसिह दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री विजयसिह एवं श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को कार्यालय से परिवादी के साथ सत्यापन हेतु जिला उधोग केन्द्र जोधपुर रवाना किया गया।

वक्त 09.00 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. मय परिवादी श्री विजयसिह कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा श्री रामचन्द्रसिंह कानि ने कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं एवं परिवादी कार्यालय से रवाना होकर जिला उधोग केन्द्र जोधपुर पहुचे। जहां पर गोपनीय स्थान पर कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर रवाना किया। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कार्यालय के पास परिवादी के वापिस उपस्थित आने के इन्तजार में खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री विजयसिह जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के परिसर से निकलकर मेरे पास उपस्थित आया तथा परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं जिला उधोग केन्द्र कार्यालय के परिसर के अन्दर गया तो श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक कार्यालय के बाहर परिसर में मुझे मिले जिनसे मेरी मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता हुई। दौराने वार्ता श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक, जिला उधोग केन्द्र जोधपुर ने मुझे श्री महेन्द्रसिह दलाल से मिलने हेतु कहां गया जिस पर हम दोनो वहां से रवाना होकर श्री महेन्द्रसिह दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से सत्यापन करवाने हेतु उसकी दुकान के पास मण्डलनाथ जोधपुर पहुंचे। दुकान से कुछ दूर पहले मेंने कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल की दुकान की तरफ रवाना किया मैं अपनी उपस्थित छिपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में गोपनीय स्थान पर खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री विजयसिह आरोपी श्री महेन्द्रसिह की दुकान से निकलकर मेरे पास उपस्थित आया तथा परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं रवाना होकर आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल के दुकान पर पहुंचा जहां पर मुझे श्री महेन्द्रसिह दलाल अपनी दुकान पर उपस्थित मिला जिनसे मेरी मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री महेन्द्रसिह दलाल ने मुझ से मेरे लोन की सब्सिडी दिलाने के एवज में कुल 2 लाख रूपये मांग थे। जिसमें से पूर्व में 1.50 लाख रूपये मेरे से प्राप्त करना व बाकी 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की स्वयं के एवं श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक के लिए मांग की है।" जिस पर हम दोनो मण्डलनाथ वहां से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से उक्त वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी श्री विजयसिह

ने उपरोक्त श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 के कथनो की ताईद की। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता सुनी गई तो उपरोक्त कथनो की ताईद हुई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया। उक्त डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर को सुरक्षा की दृष्टि से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 09.30 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री विजयसिह को रिश्वति राशि की व्यवस्था करने एवं उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बरतने एवं आरोपी का फोन आने पर सुचित करने की हिदायत देकर परिवादी विजयसिह को कार्यालय से रूकसत किया गया।

दिनांक 23.06.2022 वक्त 10.00 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को श्री रामचन्द्र सिह कानि.432 ने बताया कि परिवादी श्री विजयसिह ने मेरे मोबाईल पर फोन कर बताया कि मैं दिनांक 14.06.2022 से आज दिनांक तक मैं मेरे व्यवसाय के सम्बन्ध में टूर पर होने से वापस नहीं आ सका एवं बताया कि दलाल श्री महेन्द्रसिह द्वारा मुझे दिनांक 24.06.2022 को जिला उधोग केन्द्र जोधपुर चलकर श्री अश्विनसिह वरिष्ठ लिपिक से मिलवाने व उनके सामने पैसे दिलवाने के लिए कहां है। यदि दलाल महेन्द्रसिह के साथ दिनांक 24.06.2022 को जिला उधोग केन्द्र जोधपुर जाये तो श्री महेन्द्रसिह दलाल के मार्फत श्री अश्विनसिह वरिष्ठ लिपिक रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। जिस पर परिवादी श्री विजयसिह को कल दिनांक 24.06.2022 कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द करने हेतु श्री रामचन्द्रसिह कानि. को निर्देशित किया गया।

वक्त 05.30 पी.एम. पर कल दिनांक 24.06.2022 को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम तहरीर क्रमांक 1211 दिनांक 23.06.2022 जारी कर दिनांक 24.06.2022 को वक्त सुबह 10.30 ए.एम. पर दो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में भिजवाने हेतु जरिये फोन निवेदन किया गया।

वक्त 05.45 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो–एसयू, जोधपुर के पास दो चौकियो का चार्ज होने एवं कल दिनांक 24.06.2022 को अन्य गोपनीय कार्यवाही संभावित होने से श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को जरिये टेलिफोन कर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को कल दिनांक 24.06.2022 को कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु निर्देशित करने बाबत् निवेदन कर, श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये टेलिफोन निर्देशित किया गया।

दिनांक 24.06.2022 वक्त 10.30 ए.एम. पर कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से पूर्व से तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान कार्यालय उपस्थित आये। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने बारी–बारी अपना परिचय श्री जितेन्द्र रामावत पुत्र श्री त्रिभुवनदास रामावत जाति वैष्णव उम्र 38 साल निवासी 3ए/4 प्रभु पार्श्वनाथ नगर, पाल बालाजी मंदिर के पीछे जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8829040141, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी प्लॉट नम्बर 306 जेडएसए आरटीओ रोड़ बीजेएस हाल पटवारी उत्तर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नम्बर 9549642496 के रूप में दिया।

वक्त 10.40 ए.एम. पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण मन् अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री विजयसिह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करवाकर एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी विजयसिह एवं आरोपीगण श्री अश्विनसिह वरिष्ठ लिपिक व श्री महेन्द्रसिह दलाल के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है, को सूपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यालय हाजा में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत व श्री सुरेन्द्र सिंह का श्री अमराराम निरीक्षक पुलिस से आपस में परिचय करवाया गया।

वक्त 10.45 ए.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विजयसिह की प्रार्थना–पत्र मय संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी विजयसिह एवं आरोपीगण श्री अश्विनसिह वरिष्ठ लिपिक व श्री महेन्द्रसिह दलाल के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त रिकार्ड वार्ता को सुना गया व कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा गयां।

वक्त 10.50 ए.एम. पर कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से पूर्व से तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान कार्यालय उपस्थित है। मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत व श्री सुरेन्द्र सिंह को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर परिवादी श्री विजयसिह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गयी व कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी विजयसिह एवं आरोपीगण श्री अश्विनसिह वरिष्ठ लिपिक व श्री महेन्द्रसिह दलाल के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ताओ के मुख्य–मुख्य अंश दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनवाये गये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति दी। जिस पर परिवादी की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

वक्त 11.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री विजयसिह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर परिवादी श्री विजयसिह को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर परिवादी का परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री विजयसिह पुत्र श्री भंवरसिह उम्र 34 वर्ष पैशा प्राईवेट व्यवसाय निवासी नारवा खुर्द तहसील खीवसर जिला नागौर बताया। जिस पर परिवादी श्री विजयसिह का परिचय उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र रामावत व श्री सुरेन्द्रसिह से करवाया गया। तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विजयसिह से आवश्यक पूछताछ की गयी। दौराने पूछताछ परिवादी श्री विजयसिह ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि 50 हजार रूपये मैं साथ लेकर आया हूं।

वक्त 11.30 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्र सिंह के रू–ब–रू परिवादी श्री विजयसिह पुत्र श्री भंवरसिह उम्र 34 वर्ष पैशा प्राईवेट व्यवसाय निवासी नारवा खुर्द तहसील खीवसर जिला नागौर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कहां गया जिस पर परिवादी श्री विजयसिह ने भारतीय मुद्रा के दो हजार रूपये के 25 नोट, कुल राशि 50,000 रूपये पेश किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 50,000/–रूपये के नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री विजयसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से लिवाई जाकर एक मोबाईल फोन नम्बर 9782530004 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 50,000 रूपये जो आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक, जिला उधोग केन्द्र जोधपुर या दलाल महेन्द्रसिह (प्राईवेट व्यक्ति) को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री विजयसिंह के पहने हुए कमीज की सामनें की उपर की बांयी जेब में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विजयसिंह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् अमराराम निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9928855477 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की पृथक सें फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई।

वक्त 11.58 ए.एम. पर परिवादी श्री विजयसिह को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 1,000 रूपये अपने पास रखे।

वक्त 12.03 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री महेन्द्रसिह दलाल की उपस्थिति बाबत परिवादी श्री विजयसिह के मोबाईल से आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल करवाकर स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में उक्त वार्ता को रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में परिवादी ने आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल से कहां कि मैं रोहट हूं, रवाना हो रहा हूं आप ऑफिस आ जाओ, जिस पर आरोपी ने जोधपुर में पहुचने पर कॉल करने हेतु कहां गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा बनवायी जायेगी।

वक्त 01.25 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 स्वयं की मोटर साईकल से परिवादी श्री विजयसिह के साथ आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय दो स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो स्टॉफ श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89, श्री भंवरलाल कानि. नं. 501, श्री अर्जुनसिह कानि. नं. 501, श्री गणेश कानि. नं. 219 मय

सुपरविजन हेतु श्री दुर्गसिह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय हाजा का वॉइस रिकार्डर, लेपटोप प्रिन्टर ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय सरकारी वाहन टवेरा, निजी वाहन मय चालक खम्माराम नं. 356 व श्री प्रकाश कानि. नं. 265 के जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 01.40 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विजयसिह मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो के स्टॉफ के फिगरा उपरोक्त के रवानाशुदा जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के कार्यालय के पास पहुंचे जहां पर गोपनीय स्थान पर सरकारी वाहनो एवं मोटर साईकल को रोड़ के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया गया।

वक्त 01.43 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री विजयसिंह ने बताया कि श्री महेन्द्रसिंह दलाल भैरूजी चौराहे पर कुछ देर में आयेगा। जिसके साथ मैं जिला उधोग केन्द्र जोधपुर जाकर आरोपी श्री अश्विनी सिंह से रिश्वति राशि का आदान–प्रदान किया जावेंगा। आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल की भेरूजी चौराये पर आने की संभावना होने से श्री रामचन्द्रसिह कानि. नम्बर 432 को कार्यालय हाजा का डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपूर्द कर श्री महेन्द्रसिंह दलाल भैरूजी चौराहे पर आये तब परिवादी श्री विजयसिंह को वायस टेप रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करने की आवश्यक हिदायत देकर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नम्बर 432 को परिवादी श्री विजयसिह के साथ मोटर साईकल से रवाना भेरूजी चौराया की तरफ किया। मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के श्री रामचन्द्रसिह कानि. मय परिवादी मय दलाल महेन्द्रसिह के भेरूजी चौराये से कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर में आने के इन्तजार में जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के आस पास गोपनीय रूप से मामुर हुए।

वक्त 2.20 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व परिवादी विजयसिह जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से बाहर मन् निरीक्षक पुलिस श्री अमराराम खोखर के पास उपस्थित आये व रामचन्द्रसिह कानि. ने वॉइस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस श्री अमराराम खोखर को सुपूर्द किया कर बताया कि मैं व परिवादी श्री विजयसिह के आपके पास से रवाना होकर भेरूजी चौराये पहुचे जहां पर आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु परिवादी श्री विजयसिह के मोबाईल से आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल करवाकर मोबाईल के स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालु कर उक्त वार्ता को रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में परिवादी ने आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल से कहां कि मैं भेरू चौराया हू, जिस पर आरोपी ने कहां कि आप वही रूको मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। जिस पर हम दोनो आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल के आने के इन्तजार में खडे रहे कुछ समय पश्चात आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल भैरूजी चौराहे पर अपनी मोटरसाईकिल लेकर आया जिस पर मैने परिवादी श्री विजयसिंह को कार्यालय का वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल के पास रवाना किया परिवादी श्री विजयसिंह आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल के पास पहुंचा कुछ समय बाद परिवादी श्री विजयसिंह आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल की मोटरसाईकिल के पिछे बैठकर जिला उघोग केन्द्र की तरफ रवाना हुए जिस पर मैने आपको आरोपी व परिवादी के जिला उघोग केन्द्र जोधपुर की तरफ रवाना होने की सूचना देकर मैं अपनी मोटर साईकल से उनके पिछे–पिछे रवाना होकर जिला उधोग केन्द्र जोधपुर पहुंचे जहां पर परिवादी श्री विजयसिंह आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल जिला उघोग केन्द्र जोधपुर के अन्दर चले गये। मैं अपनी मोटर साईकल को परिसर के बाहर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में खडा रहा। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विजय सिह से डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड बातचीत के बारे में पूछने पर बताया कि आरोपी महेन्द्रसिह दलाल स्वयं रिश्वति राशि लेकर आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक को देने को कह रहा है, मगर मुझे साथ नहीं ले जा रहा है। इसलिए मेंने रिश्वति राशि महेन्द्रसिह दलाल को नहीं दी।, जिस कारण आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल नाराज होकर चला गया। ईसलिए रिश्वति राशि का आदान–प्रदान नही हो पाया है।

वक्त 2.25 पी.एम. पर आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल के जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से निकल जाने के कारण परिवादी श्री विजयसिह को रिश्वत राशि लेन–देन हेतु सीधे ही आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक के पास कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर भेजने का निर्णय लेकरं श्री रामचन्द्रसिंह कानि.432 से डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु करवाकर परिवादी श्री विजयसिह को सुपुर्द कर परिवादी श्री विजयसिह को जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की तरफ रवाना किया मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के आस पास परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 2.50 पी.एम. पर परिवादी विजयसिह कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से बाहर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। जिस पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 से परिवादी श्री विजयसिह से डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त करवाकर स्विच ऑफ करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस ने वॉइस रिकार्डर अपने पास रखा। तथा मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री विजयसिह ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर जिला उघोग केन्द्र परिसर मे पहुंचा जहां पर मुझे आरोपी अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक कार्यालय के बाहर परिसर मे ही मिल गये जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता मैने उनको रिश्वति राशि लेने हेतु कहा तो उन्होने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की व कहा कि दिनांक 01 जुलाई को आपके सब्सिडी के पैसे खाते में आने का कहा। इमरोजा ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। उक्त वार्ताओं की फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा बनाई जावेगी।

वक्त 2.55 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को स्वयं की मोटर साईकल से मय परिवादी श्री विजयसिह के तथा मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय दो स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो स्टॉफ श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89, श्री भंवरलाल कानि. नं. 501, श्री अर्जुनसिह कानि. नं. 501, श्री गणेश कानि. नं. 219 व मय श्री दुर्गसिह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय हाजा का वॉइस रिकार्डर, लेपटोप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय सरकारी वाहन टवेरा, निजी वाहन मय चालक खम्माराम नं. 356 व श्री प्रकाश कानि. नं. 265 के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 3.05 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनों मय मोटर साईकल के इस समय कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर उपस्थित आये।परिवादी श्री विजयसिंह को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वति राशि 50000/रूपये परिवादी के पहने हुए शर्ट के उपर की बांयीं जेब से स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाकर उपरोक्त रिश्वति राशि 50000/रूपये के लिफाफे को व परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली, डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाकर अलमारी के ताला लगवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी।

वक्त 03.10 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह को उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुए आईन्दा कार्यवाही प्रस्तावित होने पर जब भी बुलाये जाने पर कार्यालय एसीबी एसयू जोधुपर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्सत किया। परिवादी श्री विजयसिह को हिदायत दी गई कि कार्यालय बुलाये जाने पर कार्यालय उपस्थित आवे तथा जब भी आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक से संम्पर्क हो तब उक्त रिश्वति राशि लेने से सम्बन्धित कार्य हेतु मिलने का समय तय करने हेतु निर्देशित कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 08..07.2022 वक्त 01.30 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस हाजिर चौकी आया व पूर्व में कानि0 श्री रामचन्द्रसिह नं. 432 ने मन् निरीक्षक पुलिस को फोन कर बताया कि आज परिवादी आने वाला है जिसको आरोपी ने कार्यालय में फोन कर बुलाया है। इस पर कानि0 श्री रामचन्द्रसिह नं. 432 को गवाहान की तलबी करने की हिदायत दी गई थी।

वक्त 01.35 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री विजयसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया एवं वक्त 01.55 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये।

वक्त 02.10 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी का ताला खुलवाकर रिश्वति राशि 50,000/–रूपये का लिफाफा अलमारी से गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से निकलवाकर परिवादी श्री विजयसिह के पहने हुए सर्ट के उपर की बांयीं जेब में रखवाकर लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाकर स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये।

वक्त 02.25 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को स्वयं की मोटर साईकल से परिवादी श्री विजयसिह के साथ आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री मधुमती हैड कानि. 89, श्री अर्जुनसिह कानि. 319 श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432, श्री भंवरलाल कानि.501 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 02.36 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विजयसिह मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो के स्टॉफ के फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के कार्यालय के पास पहुंचे जहां पर सरकारी वाहनो एवं मोटर साईकल को गोपनीय स्थान पर रोड़ के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया गया व परिवादी श्री विजयसिह को आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक की गोपनीय रूप से अपने कार्यालय मे होने का पता करने की हिदायत कर कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर को रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के परिवादी के वापिस आने के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 02.45 पी.एम. पर परिवादी विजयसिह कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से बाहर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व बताया की मैने कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर में जाकर आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक अपने कार्यालय मे होने का गोपनीय रूप से पता किया तो आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक अपने कार्य से बाहर गया है जो एक घण्टे में अपने कार्यालय में उपस्थित आ जायेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय परिवादी के आरोपी के वापिस आने के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 03.55 पी.एम. पर परिवादी विजयसिह ने गोपनिय रूप से मालुम कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया की आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक अपने कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर में आ गया है। जिस पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि.432 से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु करवाकर परिवादी श्री विजयसिह को सुपुर्द करवाकर परिवादी श्री विजयसिह को जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की तरफ रवाना कर मन्

निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के आस पास परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 04.11 पी.एम. पर परिवादी विजयसिह बगैर कोई गोपनीय ईशारा किये कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से बाहर आकर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। जिस पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 से परिवादी श्री विजयसिह से डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त करवाकर देखा तो डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ होना पाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस ने वॉइस रिकार्डर अपने पास रखा। मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री विजयसिह ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर जिला उघोग केन्द्र परिसर मे पहुंचा जहां पर मुझे आरोपी अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक कार्यालय के बाहर परिसर मे ही मिल गये जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता उन्होने मुझे कहा की आप महेन्द्र सिह से बात करो तथा जिस पर मैने महेन्द्र से फोन पर बात की तथा साहब (अश्विनी) से बात करने का कहा तो महेन्द्र ने कहा कि मैं उनके फोन पर ही बात करता हूं। उसके कुछ क्षण बाद ही महेन्द्र का फोन अश्विनी जी के फोन पर आया था तथा उन्होने मेरे से दूर जाकर बात की थी उसके बाद उन्होने मुझे कहा कि आज शाम को 6.30 पी.एम पर मण्डलनाथ चौराहे पर स्थित महेन्द्र सिह की दुकान पर आता हूं। वही पर बैठकर महेन्द्र सिह के सामने बात करते है, मैं महेन्द्र की दुकान पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरे पावणा भी बीमार है मैने दुकान भी बन्द कर दी है। जिस पर परिवादी के कहे अनुसार महेन्द्र की दुकान पर नहीं जाना, रात्रि का समय होने पर खुली जगह पर आरोपी के निकल जाने व बारिस की संभावना होने से आज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं है। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डरको ऑन कर चैक किया तो उक्त वार्तालाप डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड नही होना पाया गया। अब तक के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही सोमवार को किये जाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 04.50 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 मय परिवादी श्री विजयसिह के साथ श्री रामचन्द्रसिह कानि. की मोटर साईकल से तथा मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री मधुमती हैड कानि. 89, श्री अर्जुनसिह कानि. 319 श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432, श्री भंवरलाल कानि.501 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो–एसयू, जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 05.00 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनों मय मोटर साईकल के इस समय कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर उपस्थित आये। परिवादी श्री विजयसिंह को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वति राशि 50000/रूपये परिवादी के पहने हुए शर्ट के उपर की बांयीं जेब से स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से निकलवाकर एक सफेद लिफाफा में डलवाकर उपरोक्त रिश्वति राशि 50000/रूपये के लिफाफे को व परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली, डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाकर अलमारी के ताला लगवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी।

वक्त 05.10 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह व परिवादी श्री विजयसिह को उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बरतने व सोमवार को कार्यालय एसीबी एसयू जोधुपर में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया।

दिनांक 11.07.2022 वक्त 11.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री विजयसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया एवं वक्त 12.15 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये।

दिनांक 11..07.2022 वक्त 12.25 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी का ताला खुलवाकर रिश्वति राशि 50,000/–रूपये का लिफाफा अलमारी से गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से निकलवाकर परिवादी श्री विजयसिह के पहनी हुई पेन्ट साईड की दाहिनी जेब में रखवाकर लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाकर स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत के हाथ पानी व साबुन से धुलवाये गये।

वक्त 12.30 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 स्वयं की मोटर साईकल से परिवादी श्री विजयसिह साथ श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को आगे आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री अर्जुनसिह कानि. 319 श्री प्रकाश कानि.265 श्री गणेशकुमार कानि.219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 12.37 पी.एम.पर फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विजयसिह मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो के स्टॉफ के फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के कार्यालय के पास पहुंचे जहां पर सरकारी वाहनो एवं मोटर साईकल को गोपनीय स्थान पर रोड़ के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया गया व परिवादी श्री विजयसिह को आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक की गोपनीय रूप से अपने कार्यालय मे होने का पता करने की हिदायत कर कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर

को रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के परिवादी के वापिस आने के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 12.42 पी.एम. पर परिवादी विजयसिह कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से बाहर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व बताया की मैने कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर में जाकर आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक अपने कार्यालय मे होने का गोपनीय रूप से पता किया तो आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक जयपुर गये है जो परसो तक वापिस आयेगे। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन किये गये।

वक्त 12.45 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 स्वयं की मोटर साईकल से परिवादी श्री विजयसिह साथ श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को आगे आगे रवाना कर उनके पिछे–पिछे मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री अर्जुनसिह कानि. 319 श्री प्रकाश कानि.265 श्री भंवरलाल कानि.501 श्री गणेशकुमार कानि.219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 12.51 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनों मय मोटर साईकल के इस समय कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर उपस्थित आये। परिवादी श्री विजयसिंह को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वति राशि 50000/रूपये परिवादी के पहने हुए सर्ट के उपर की बांयीं जेब से स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से निकलवाकर एक सफेद लिफाफा में डलवाकर उपरोक्त रिश्वति राशि 50000/रूपये के लिफाफे को व परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली, डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाकर अलमारी की चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी।

वक्त 12.56 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह को उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुए आईन्दा कार्यवाही प्रस्तावित होने पर जब भी बुलाये जाने पर कार्यालय एसीबी एसयू जोधुपर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया व परिवादी श्री विजयसिह को हिदायत दी गई कि कार्यालय में बुलाये जाने पर कार्यालय उपस्थित आवे तथा जब भी आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक से संम्पर्क हो तब उक्त रिश्वति राशि लेने से सम्बन्धित कार्य हेतु मिलने का समय तय करने हेतु निर्देशित कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 13.07.2022 वक्त 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री विजयसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया व मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक आज अपने कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर में आ गये है तथा आज आरोपी मुझसे रिश्वति राशि प्राप्त कर लेगा। जिस पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को दोनों स्वतन्त्र गवाहान को तत्काल कार्यालय हाजा में बुलाने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 10.40 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये।

वक्त 10.45 ए.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी का ताला खुलवाकर रिश्वति राशि 50,000/–रूपये का लिफाफा अलमारी से गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से निकलवाकर परिवादी श्री विजयसिह के पहनी हुई पेन्ट साईड की दाहिनी जेब में रखवाकर लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाकर स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत के हाथ पानी व साबुन से धुलवाये गये।

वक्त 11.00 ए.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 स्वयं की मोटर साईकल से परिवादी श्री विजयसिह के साथ श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री भंवरलाल कानि.501 श्री अर्जुनसिह कानि. 319 श्री प्रकाश कानि.265 श्री गणेशकुमार कानि.219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 11.08 ए.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विजयसिह मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो के स्टॉफ के फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के कार्यालय के पास पहुंचे जहां पर सरकारी वाहनो एवं मोटर साईकल को गोपनीय स्थान पर रोड़ के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया गया व परिवादी श्री विजयसिह को आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक की गोपनीय रूप से अपने कार्यालय मे होने का पता करने की हिदायत कर कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर को रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के परिवादी के वापिस आने के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 11.14 ए.एम. पर परिवादी विजयसिह कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से बाहर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व बताया की मैने कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर में गया जहा

पर आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक अपने कार्यालय मे नही मिला जिस पर आरोपी का गोपनीय रूप से पता किया तो आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक आज अपने कार्यालय में नही आया है। जिस पर आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक की उपथिति बाबत परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करवाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 11.24 ए.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक की उपस्थिति बाबत परिवादी श्री विजयसिह के मोबाईल से आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक के मोबाईल पर कॉल करवाकर स्पीकर ऑन कर तो श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक द्वारा कॉल नही उठाया गया। कुछ समय बाद श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक का परिवादी श्री विजयसिह के मोबाईल पर कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में उक्त वार्ता को रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में आरेपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक ने परिवादी को एम्स में हौना बताया। जिस पर रिश्वति राशि लेन–देन करवाने हेतु परिवादी को एम्स में आरोपी के पास भेजने का निर्णय लेकर परिवादी श्री विजयसिह के मोबाईल से आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक के मोबाईल पर कॉल करवाकर स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में उक्त वार्ता को रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में आरेापी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक ने परिवादी को एम्स में आने हेतु कहा। उक्त वार्ताओ की आईन्दा ट्रांन्सकिप्ट बनवाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 11.28 ए.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 स्वयं की मोटर साईकल से परिवादी श्री विजयसिह के साथ श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक के कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर से एम्स जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 11.38 ए.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विजयसिह स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता मय मोटर साईकल, सरकारी वाहन टवेरा मय चालक के एम्स जोधपुर के गेट नम्बर 03 के पास पहुचे जहा पर मोटर साईकल व सरकारी वाहन को सडक के किनारे सुरक्षित खडा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विजयसिह को आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक को अपने मोबाईल से कॉल कर एम्स जोधपुर के गेट नम्बर 03 के सामने चाय के ढाबे पर बुलाकर आरोपी से रिश्वति राशि का लेन–देन करने की हिदायत देकर श्री रामचन्द्रसिंह कानि.432 से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु करवाकर परिवादी श्री विजयसिह को सुपुर्द करवाकर परिवादी श्री विजयसिह को एम्स जोधपुर के गेट नम्बर 03 के सामने चाय के ढाबे की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के एम्स जोधपुर के गेट नम्बर 03 के सामने चाय के ढाबे के आस पास आरोपी के आने व परिवादी के गोपनिय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री विजयसिंह बगैर कोई ईशारा किये एम्स जोधपुर के गेट नम्बर 03 के सामने चाय के ढाबे से रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। जिस पर परिवादी से श्री रामचन्द्रसिंह कानि न.432 से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त करवाकर स्विच ऑफ करवाकर उक्त रिकोर्डर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखा तथा परिवादी नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आप के पास से रवाना होकर मै एम्स जोधपुर के गेट नम्बर 03 के सामने चाय के ढाबे पर पहुचा। जहा पर मेने अपने मोबाईल से आरोपी को फोन कर उक्त ढाबे पर बुलाया कुछ समय बाद आरोपी अपनी कार लेकर उक्त ढाबे पर मेरे पास आया। जहा पर मेरी आरोपी से वार्ता हुई दौराने वार्ता मेने अपनी जेब मे से रिश्वती राशि निकाल कर श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक लेने हेतु कहा तो उन्होने रिश्वति लेने से मना किया तथा कहा कि आपको मुझे व श्री महेन्द्रसिंह को अब किसी भी तरह की राशि आपको नही देनी है। इसके पश्चात आरोपी अपनी कार लेकर वहा से रवाना हो गया। परिवादी श्री विजयसिह ने यह भी बताया की आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक को मेरे पर शक हो गया है जो अब मेरे से रिश्वति राशि नही प्राप्त करेगे। जिस पर अब ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने पर हालात उच्च अफसरान को निवेदन किये गये। उक्त वार्ता की ट्रासकिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 11.55 ए.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 स्वयं की मोटर साईकल से परिवादी श्री विजयसिह के साथ श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री भंवरलाल कानि.501 श्री अर्जुनसिह कानि. 319 श्री प्रकाश कानि.265 श्री गणेशकुमार कानि.219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक के एम्स जोधपुर से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

वक्त 12.06 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी को पूर्व मे सुपुर्द शुदा रिश्वति राशि परिवादी के पहनी हुई पेन्ट साईड की दाहिनी जेब से गवाह श्री जितेन्द्र रामावत से निकलवाकर एक लिफाफे मे डलवाकर उक्त रिश्वति राशि 50,000/रूपये के लिफाफे, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली व डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को

कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखवाकर अलमारी के ताला लगवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया की आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक आज शाम को मेरे अन्य कार्य के संबंध में मुझसे वार्ता करने मेरी बहन की मंडलनाथ स्थित दुकान जहा पर में काम करता हूँ वहा पर आयेगा। जिससे मेरी रिश्वत राशि के संबंध में और वार्ता हो सकती है।

वक्त 12.20 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह व परिवादी श्री विजयसिंह को कार्यालय मे बुलाने पर उपस्थित आने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया।

वक्त 04.00 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की परिवादी श्री विजय सिह ने मुझे जरिये मोबाईल बताया कि आरोपी श्री अश्विनीसिंह मेरी बहन के मण्डलनाथ स्थित दुकान पर आने वाला है। जहां पर रिश्वति राशि मांग सत्यापन से सम्बन्धित वार्ता होनें की संभावना है। जिस पर कानि. श्री रामचन्द्रसिह कों कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकॉर्ड कर लानें हेतु कार्यालय से रवाना किया गया।

वक्त 09.30 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 कार्यालय उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर से रवाना होकर मण्डलनाथ चौराहा पहुंचा। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री विजय सिह मुझे उपस्थित मिला। जिस पर परिवादी श्री विजयसिंह द्वारा आरोपी की उपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी की गई तों अभी आना नही बताया। जिस पर मै और परिवादी आरोपी श्री अश्विनीसिंह के मण्डलनाथ चौराहा पर उसके आनें के इन्तजार में मुकीम रहे। समय करीब 8 बजे आरोपी श्री अश्विनीसिंह मण्डलनाथ चौराहा पर आनें पर मेरे द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑन करके परिवादी श्री विजयसिंह को सुपुर्द कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करनें हेतु रवाना किया गया। करीब आधा घंटा बाद परिवादी श्री विजयसिंह मेरे पास उपस्थित आया। मेरे द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर कों परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि आरोपी श्री अश्विनीसिंह द्वारा मेरे से एक मेरी व एक मेरे रिश्तेंदार की पत्रावली के लोन पास करनें की एवज में 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई। इसके बाद मेरे द्वारा परिवादी श्री विजय सिंह को निर्देशानुसार वहीं छोड कर उपस्थित कार्यालय आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री विजयसिंह व आरोपी श्री अश्विनीसिंह के मध्य रूबरू रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तों आरोपी श्री अश्विनीसिंह द्वारा परिवादी श्री विजयसिंह से उसकी एक पत्रावली व एक उनके रिश्तेंदार की पत्रावली का लोन पास करनें की एवज में 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर कों मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आईन्दा उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जावेगी।

दिनांक 27.09.2022 वक्त 11.40 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 11.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री विजयसिह कार्यालय हाजा में आया व एक लिखित रिपोर्ट मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को इस आशय कि पेश कि के मेरे द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट पर श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक जिला उधोग केन्द्र जोधपुर एवं महेन्द्रसिह दलाल प्राईवेट व्यक्ति को पूर्व में एसीबी कार्यवाही भनक लग जाने से कार्यवाही नही हो पायी थी। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 12.01 पी.एम. पर परिवादी श्री विजयसिह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह के समक्ष मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें दिनांक 13.06.2022 को परिवादी श्री विजयसिह एवं आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक जिला उधोग केन्द्र जोधपुर एवं परिवादी श्री विजयसिह व महेन्द्रसिह दलाल प्राईवेट व्यक्ति के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप की दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप में परिवादी श्री विजयसिह ने एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की होना तथा एक आवाज महेन्द्रसिह दलाल प्राईवेट व्यक्ति की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडीयां तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी दो डब सीडीया आरोपीयो की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई चारो सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 02.10 पी.एम. पर परिवादी श्री विजयसिह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह के समक्ष मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व दिनांक 24.06.2022 को परिवादी श्री विजयसिह एवं आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य दो बार वाट्सअप पर व एक रिकार्डिंग रूबरू वार्तालाप व श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक के मध्य एक रूबरू वार्तालाप व दिनांक 13.07.2022 श्री विजयसिह एवं आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक के मध्य एक मोबाईल पर वार्ता एवं दो रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालापो की दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप श्री देवाराम कानि नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। रिकॉर्डेड वार्तालाप में दिनांक 24.06.2022 को दो बार वाट्सअप पर व एक रूबरू वार्तालाप में एक आवाज आरोपी श्री महेन्द्रसिह दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) दूसरी आवाज परिवादी ने अपनी स्वयं की तथा दिनांक 24.06.2022 को रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व एक रूबरू वार्तालाप आरोपी श्री अश्विनीसिह वरिष्ठ लिपिक, जिला उधोग केन्द्र जोधपुर की व दूसरी आवाज परिवादी ने अपनी स्वयं की होने की ताईद की। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी दो डब सीडीया आरोपीयो की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई चारो सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 06.45 पी.एम.पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की कार्यवाही में कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण गवाहान श्री जितेन्द्र रामावत, श्री सुरेन्द्रसिह व परिवादी श्री विजयसिह को कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही सें आरोपी श्री अश्विनी सिंह वरिष्ठ लिपिक जिला उधोग केन्द्र जोधपुर के द्वारा परिवादी श्री विजयसिंह की बहन के नाम गुरूदेव मसाला उधोग मण्डलनाथ जोधपुर में फर्म को शुरू करने के लिए जिला लघु उधोग केन्द्र जोधपुर से एमएसएमई के लिए 25 लाख रूपये का लोन लेन हेतु सब्सिडी दिलानें की एवज में 2 लाख रूपयें की मांग करना, जिसमें से 1,50,000 रूपयें आरोपी श्री अश्विनी सिंह द्वारा डरा धमका कर दलाल श्री महेन्द्र सिह के मार्फत पूर्व में प्राप्त करना, शेष राशि 50,000 रूपयें की रिश्वति राशि की मांग स्वयं व अपनें दलाल श्री महेन्द्रसिह के मार्फत करना तथा दिनांक 13.07.2022 को परिवादी की एक पत्रावली व एक उनके रिश्तेंदार की पत्रावली का लोन पास करनें की एवज में 50,000 रूपयें पूर्व की मांगी गई रिश्वति राशि के अतिरिक्त रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी पर शक हो जानें के कारण आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त नही की गई है।

चूंकि परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट में आरोपी का नाम व पदनाम श्री अश्वनी सिंह वरिष्ठ लिपिक होना बताया गया। आरोपी श्री अश्वनी सिंह का सेवा विवरण प्राप्त किया गया। सेवा विवरण के अनुसार आरोपी का नाम श्री अश्विनी कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर होना पाया जानें सें आरोपी के नाम व पदनाम में सही नाम श्री अश्विनी कुमार गुप्ता व पदनाम कनिष्ठ लिपिक अंकित किया गया है।

अतः श्री अश्विनी कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री महेश कुमार गुप्ता जाति गुप्ता उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नम्बर 38, ठाकुर वीरेन्द्र नगर मैन रोड मण्डोर जोधपुर हाल कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला उधोग केन्द्र जोधपुर एवं श्री महेन्द्र पुत्र श्री भोमाराम जाति माली उम्र 35 वर्ष निवासी बिजलीघर के पीछे, मण्डलनाथ, पुलिस थाना करवड पुलिस कमिशनरेट जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्तें कमाकन हेतु सादर प्रेषित है।

(अमराराम खोखर)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 में आरोपी श्री अश्विनी कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, जिला जोधपुर एवं श्री महेन्द्र पुत्र श्री भोमाराम, निवासी बिजली घर के पीछे, मण्डलनाथ, पुलिस थाना करवड़, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 421/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.10.22
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 3665-69 दिनांक 21.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव राज0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

21.10.22
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।